लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष–91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583650
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / शि0क0 / 77 / 09 / 252 भोपाल, दिनांक 15.9.09
प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2009 विषयक ।
संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक / राशिकप्र / रा0पु0 / 77 / 09 / 100 दिनांक 29 मई 2009 एवं पत्र क्रमांक / राशिकप्र / रा0पु0 / 77 / 09 / 202–203 दिनांक 25.8.09 ।

–0–

विषयांकित के संबंध में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2009 के प्रस्ताव चाहे गये हैं । पत्र में अंकित तिथियों में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नवीन तिथियॉ (संलग्न परिशिष्ट–एक) निर्धारित की गई है । तदनुसार प्रस्ताव डॉ0 रामाधार मालवीय,सहायक संचालक (राशिकप्र) लोक शिक्षण संचालनालय को निर्धारित तिथि 30 नवम्बर 2009 के पूर्व अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

(बी0आर0नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2009
प्रस्ताव आमंत्रित

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षकों को **"राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार"** प्रदान किया जाता है। वर्ष 2009 के लिए निम्नानुसार संवर्गो में प्रस्ताव आमंत्रित हैं :–

1– मान्यता प्राप्त प्राइमरी/मिडिल/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य.

2– परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में पदस्थ संस्कृत शिक्षक.

3– परम्परागत रूप से संचालित मदरसों में पदस्थ अरबी/फारसी के शिक्षक.

4– विशेष पुरस्कार.
1.सामान्य विद्यालयों में पदस्थ निःशक्त शिक्षक
2.सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के अभिवर्द्धन में संलग्न विशेष प्रशिक्षित शिक्षक

2– **आवश्यक अनुभव–**
शिक्षकों के लिए 15 वर्ष तथा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिए 20 वर्ष का नियमित अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। विशेष श्रेणी के पुरस्कार के लिए शिक्षकों को 10 वर्ष तथा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को 15 वर्ष नियमित अध्यापन आवश्यक होगा।

3– जिस संवर्ग के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो, आवेदक को आवेदन करते समय उस संवर्ग में ही कार्यरत् होना अनिवार्य है।

4– संबंधित शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र, पॉच वर्ष की उत्कृष्ट गोपनीय चरित्रावली, निष्कलंक सतत सेवा, श्रेष्ठ परीक्षा फल तथा कर्तव्यनिष्ठा के प्रमाणीकरण एवं अन्य अभिलेखों की प्रतियॉ संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र में **संस्था प्रधान द्वारा तैयार किये जायेंगे। संस्था प्रधान का प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तैयार करेंगे।** प्रस्ताव तैयार करते समय महिला शिक्षिकाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये।

5– प्रस्ताव दिनॉक 30 अक्टूबर, 2009 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी से संयुक्त संचालक, कार्यालय 15 नवम्बर, 2009 तक तथा संयुक्त संचालक कार्यालय से 30 नवम्बर, 2009 तक संचालनालय में अनिवार्यतः भिजवाये जायें।

6– निर्धारित प्रपत्र तथा विस्तृत निर्देश संचालनालय की वेबसाइट www.sed.nmp.nic.in से डाउन लोड किये जा सकते हैं।

आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश
लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष–91–0755–2593650,फैक्स–2593651, ई मेल मेल–dpividhya@yahoo.com

---

1099

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश